



नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड  
(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

पत्रांक: Rev/Rural Franchisee/109/2013-1844

दिनांक 01-12/2014

CIN - U40109BR2012SGC018920

फोन न० 0612-2505750

फैक्स न० 0612- 0612-2505750

ई-मेल : bseb.ce.commercial@gmail.com

प्रेषक,

पुरुषोत्तम प्रसाद,  
मुख्य अभियंता (वाणिज्य)।

सेवा में,

विद्युत अधीक्षण अभियंता,  
सभी विद्युत आपूर्ति अंचल।  
विद्युत कार्यपालक अभियंता,  
सभी विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल।  
सहायक विद्युत अभियंता,  
सभी विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल।

विषय : रूरल रेवेन्यू फ्रैंचाइजी योजना के प्रावधानों में संशोधन के संबंध में।

प्रसंग: इस कार्यालय का पत्रांक कॉम/रूरल फ्रैंचाइजी-244/2013/917 दिनांक  
28.05.2014

महोदय,

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्रामीण इलाकों में स्थानीय स्तर पर 100 प्रतिशत मीटर रीडिंग, बिल डिस्ट्रीब्यूशन तथा बिल कलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए रूरल रेवेन्यू फ्रैंचाइजी योजना -2013 लागू है। इस संदर्भ में यह पाया गया है कि इस योजना के तहत पारिश्रमिक दर वसूल की गई राशि पर आधारित होने के कारण नियुक्त फ्रैंचाइजी द्वारा मीटर रीडिंग एवं बिल डिस्ट्रीब्यूशन की अपेक्षा विद्युत उपभोक्ताओं से ऊर्जा विपत्र की राशि वसूली में अधिक दिलचस्पी लिया जाता है। फलतः शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग एवं बिल डिस्ट्रीब्यूशन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है।

दिनांक 15.10.2014 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारियों एवं कम्पनी के क्षेत्रीय अभियंताओं के साथ हुई विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा राजस्व समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला पदाधिकारियों के द्वारा फ्रैंचाइजी के पारिश्रमिक को मीटर रीडिंग एवं बिल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से प्रावधानित करने का सुझाव दिया गया। तदनुसार इस बिन्दु पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.11.2014 के प्रभाव से रूरल रेवेन्यू फ्रैंचाइजी को मीटर रीडिंग, बिल डिस्ट्रीब्यूशन एवं राजस्व वसूली के लिए निम्न दर से पारिश्रमिक देय होगा :-

क्र० सं०	कार्य विवरणी	पारिश्रमिक दर
1.	मीटर रीडिंग के लिए	रु० 3.50/- प्रति उपभोक्ता
2.	बिल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए	रु० 1.00/- प्रति उपभोक्ता
3.	रूरल रेवेन्यू फ्रैंचाइजी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से विद्युत विपत्र के विरुद्ध राजस्व वसूली के लिए	प्राप्त राजस्व वसूली की राशि का 3 प्रतिशत

कृ०पृ०उ०

क्र० सं०	कार्य विवरणी	पारिश्रमिक दर
4.	रूरल रेवेन्यू फ्रैंचाईजी द्वारा नए विद्युत संबंध के लिए पूर्ण आवेदन के साथ आवेदन शुल्क, सिक्युरिटी मनी, प्राक्कलित राशि तथा मीटर टेस्टिंग फीस आदि के भुगतान के साथ आवेदन संबंधित कनीय विद्युत अभियंता अथवा सहायक विद्युत अभियंता के कार्यालय में जमा करने पर एवं उनके बिलिंग साईकिल में आने के पश्चात् प्रत्येक उपभोक्ता के लिए	नए विद्युत संबंध के लिए प्रत्येक प्राप्त आवेदन पर 1. रू0 50.00 प्रति नए एलटी विद्युत संबंध के पूर्ण आवेदन के लिए तथा 2. रू0 100.00 प्रति नए एचटी विद्युत संबंध के पूर्ण आवेदन के लिए।

तदनुसार रूरल रेवेन्यू फ्रैंचाईजी योजना- 2013 की कंडिका 7 को संशोधित समझा जाए। योजना की अन्य शर्तें एवं नियमों जो उपर्युक्त संशोधन के प्रतिकूल नहीं हैं, यथावत रहेंगी।

उपर्युक्त संशोधित प्रावधानों के आलोक में सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को यह निदेश दिया जाता है कि संबंधित रूरल रेवेन्यू फ्रैंचाईजी के साथ उक्त संशोधनों को समावेशित करते हुए संशोधित एकरारनामा कर लिया जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/-

पुरुषोत्तम प्रसाद  
मुख्य अभियंता (वाणिज्य)